

“समावेशी विकास की कड़ी में महिला उद्यमिता में सूक्ष्मऋण की भूमिका”

डॉ. लता जैन

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

शा. कला एवं वाणिज्य महा.

इन्दौर (म.प्र.)

“भारत में करीब 30 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। ये व्यापार समूहों की जरूरतों को लेकर काम करते हैं, जैसे कि किसान, दस्तकार, मछुआरे, विकलांग, सामाजिक रूप से पिछड़े समूह, वृद्ध, किशोर-किशोरियां और महिलाएं आदि। इस तरह स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संस्थाओं और बैंकों द्वारा गठित कई वित्तीय, गैर-वित्तीय संगठन शामिल हैं। निर्धनता में कमी लाने तथा स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के संदर्भ में सूक्ष्म वित्त (माइक्रो क्रेडिट) निर्धनों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है।”

सूक्ष्म ऋण के प्रणेता-गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर – बांग्लादेश के नोबेल अर्थशास्त्री मो. युनुस ने 1970 से माइक्रो क्रेडिट आन्दोलन की जो शुरुआत की थी, उसकी कल्पना टैगोर ने 1920 से पहले ही कर ली थी जिसके तहत गरीबों को बिना किसी शर्त के वित्तीय गारंटी के ऋण देने की व्यवस्था का प्रयोग किया था इसलिए नोबेल पुरस्कार से प्राप्त राशि की बहुत बड़ी रकम गरीब किसानों की मदद के लिए एक कृषि सहकारिता बैंक में लगा दी क्योंकि वे किसानों की विवशता को समझते थे।

मुख्य शब्द (Main Words) – समावेशी विकास (Inclusive Development), सूक्ष्म वित्त (Micro Credit), रुझान (Interest), निवेश (Investment), व्यवसायिक (Corporate), स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)

भारत में महिला उद्यमिता – एक नजर

भारत में महिला उद्यमिता की ओर रुझान और राष्ट्रीय आय में उनका योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है, धीरे-धीरे, विशेष रूप से नब्बे के दशक से महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, निवेश, निर्यात बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करने, बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित करना तथा संगठित क्षेत्र में अन्य महिला उद्यमियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में महिला उद्यमियों की भूमिका अग्रणी रही है।

इसीलिये महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर निर्णयन की प्रक्रिया में महिलाओं को सम्मिलित करने से है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोई भी पहल उस समय तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि महिला शिक्षित, प्रशिक्षित, कौशल युक्त कामगार तथा रोजगाररत् न हो अब सृजनकारी गतिविधियों में स्थान पाकर महिलाओं में स्वावलम्बन की भावना जाग्रत होती है, जब वे किसी व्यावसायिक संस्थान में एक प्रमुख की हैसियत से अपनी व्यावसायिक दक्षताओं का प्रदर्शन करती हैं, तो स्वयं के भाक्ति सम्पन्न होने का एहसास तो दिलाती ही हैं, अन्य सहयोगी और अधीनस्थ महिलाओं के लिए 'रोल मॉडल' का भी कार्य करती हैं

एक आकलनानुसार भारत में महिला उद्यमों का हिस्सा कुल उद्यमों का 10% है और इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है अगले पाँच वर्षों के भीतर यह हिस्सा 20% तक बढ़ सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड समर्थित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वयं का उद्यम स्थापित करने वाली महिलाओं से लेकर निगम क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्यम की सफलताएं इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है कि इन उपलब्धियों को उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए हासिल किया है।



भारत का कॉर्पोरेट जगत् बैंकिंग सेक्टर, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें तथा अनेक स्वयंसेवी गैर-सरकारी संगठन महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रयासरत् है **प्र न उठता है** कि अचानक ये समस्त निकाय महिला उद्यमियों, जो प्रारम्भ में व्यवसाय की जटिलताओं के बारे में कुछ भी नहीं जानतीं, की ओर आर्कशित क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर पुरुशों के ऊपर महिलाओं की श्रेष्ठता सिद्ध कर देने वाले निम्न तथ्यों में निहित है—

- नेटवर्क एवं सम्बन्ध स्थापित कर पाने की श्रेष्ठता।
- सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए भावित गाली बन्धों को विकसित कर पाने की श्रेष्ठता।
- ग्राहकों, कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ बेहतर सम्बन्ध विकसित कर पाने की श्रेष्ठता।
- सहयोगियों की एक ऐसी टीम विकसित कर पाने की श्रेष्ठता, जो हर कदम पर उनका सहयोग करती रहे।

महिलाएं बेहतर उद्यमी सिद्ध हो रही हैं ऐसा निम्नलिखित कारणों से हो रहा है—

1. **स्थायित्व** – महिलाएं अपनी क्रियाओं में जल्दी-जल्दी बदलाव नहीं करतीं तथा पहले से स्थापित उद्यम को ही विकसित करने में अपनी ऊर्जा खपाती हैं।
2. **सीखने की त्वरित प्रवृत्ति** – महिलाओं में किसी भी नई जानकारी को भीघ्रता से सीख लेने की प्रवृत्ति पायी जाती है।
3. **परिवर्तनों को अंगीकृत करने की प्रवृत्ति** – परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप उद्यम में आव यक समायोजन करने में सक्षम।
4. **सकारात्मक दृष्टिकोण** – महिलाओं का दृष्टिकोण प्रायः सकारात्मक होता है, वे अपने सहयोगियों के विचारों एवं सुझावों को ध्यान से सुनती हैं।
5. **स्पष्टवादिता** – पुरुशों की तुलना में महिलाएं अधिक स्पष्टवादी होती हैं।

लन्दन स्थित औरोरा तथा न्यूजर्सी स्थित कैलीयर ने यू. के. तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में महिला नेताओं एवं उद्यमियों के **डी. एन. ए का अध्ययन** करके पाया कि महिला उद्यमी अत्यधिक वि वासोत्पादक होती हैं, वे समस्याओं के समाधान तथा निर्णयन हेतु

समावे ि प्रकार दलोभिमुख तरीका अपनाती हैं इतना ही नहीं वे नियमों की अनदेखी करके अधिक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहती हैं।

इनकी सफलताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं

1. **डॉ. किरन मजूमदार भाँ** – बायोकाँन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कम्पनी बायोकान की संस्थापक, बायोकाँन सिर एवं गर्दन के कैंसर की औशधि बनाने वाली पहली भारतीय कम्पनी है डॉ भाँ को 1989 में पद्मश्री तथा 2005 में पद्मभूशण से सम्मानित किया गया।
2. **श्रीमती सुलज्जा फ़िरोदिया मोटवानी** – कायनेटिक इंजीनियरिंग एवं कायनेटिक फाइनेन्स की संयुक्त प्रबंध निदेशिका।
3. **सुश्री अनुराधा देसाई** – 1800 करोड़ रूपए की संपत्ति वाली वि व की दूसरी बड़ी अण्डा उत्पादक कम्पनी वेंकटे वर/हैचरीज की अध्यक्ष।
4. **सुश्री विद्या छावड़िया** – जम्बो समूह कम्पनियों की अध्यक्ष।
5. **सुश्री रितु कुमार** – भारतीय फै ान उद्योग का एक अग्रणी नाम रितुकुमार ने भारत के हस्त निर्मित परिधनों को अन्तराष्ट्रीय फै ान बाजार में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया।
6. **डॉ. अमृता पटेल** – राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशिका ने भारत में दुग्ध विकास को नए आयाम दिए हैं।
7. **प्रियंका मल्होत्रा** – पुस्तक प्रकाशिका।
8. **भावना कक्कड़** – फै ान डिजाइनर।
9. **राजश्री बिड़ला** – सामुदायिक एवं ग्रामीण विकास हेतु आदित्य बिड़ला केन्द्र की अध्यक्ष।

भारत के कॉर्पोरेट जगत् में तो महिला उद्यमियों ने अपनी नेतृत्व क्षमता, प्रबंध क्षमता और निर्णयन क्षमता का लोहा मनवाया ही है, लघु उद्योग क्षेत्रक में उनकी उपलब्धियों को कमतर करके नहीं मापा जा सकता भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 9,95,144 लघु उद्योग उद्यम महिलाओं द्वारा प्रबन्धित है, जिसमें सर्वाधिक उद्यम केरल राज्य में हैं (13.82%), दूसरे स्थान पर तमिलनाडु (13.09%), तीसरे स्थान पर कर्नाटक (10.17%) इसी प्रकार नितान्त महिलाओं वाले उद्यमों की संख्या 1063733 है जिसमें से 13.08%

केरल में, 20% उद्यम तमिलनाडु में तथा 9.69% कर्नाटक में हैं इस सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि महिला साक्षरता तथा महिला उद्यमिता के बीच प्रत्यक्ष संबंध हैं, केरल में भात-प्रति त महिलाएं साक्षर हैं केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए हैं परिणाम सामने हैं।



तलिका : भारत में प्रमुख लघु उद्योग क्षेत्रक में महिलाओं की भागीदारी

क्र.	राज्य/केन्द्र ासित क्षेत्र	महिलाओं द्वारा प्रबंधित उद्यमों की संख्या		महिलाओं के उद्यमों की संख्या	
		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	केरल	137561	13.82	139225	13.08
2.	तमिलनाडु	130289	13.09	129808	12.20
3.	कर्नाटक	101264	10.17	103169	9.69
4.	महाराष्ट्र	80662	8.10	100670	9.46
5.	आन्ध्र प्रदेश	77347	7.77	77166	7.25
6.	पश्चिमी बंगाल	71847	7.22	69625	6.54
7.	मध्य प्रदेश	62351	6.26	68823	6.47
8.	राजस्थान	297851	2.99	36371	3.42
9.	दिल्ली	13368	1.34	14383	1.35
10.	छत्तीसगढ़	11766	1.18	10034	0.94
11.	असम	11189	1.12	11757	1.10

स्रोत – ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12), योजना आयोग खण्ड-2, पृष्ठ-229

भारत में महिला उद्यमिता हेतु उद्योग/व्यवसाय निम्न प्रकार हैं—

1. पर्यावरण मित्रवत् प्रौद्योगिकी,
2. जैव-प्रौद्योगिकी,
3. सूचना प्रौद्योगिकी जनित उद्यम,
4. समारोह प्रबन्धन,
5. पर्यटन उद्योग,

6. दूरसंचार,
7. प्लास्टिक का समान,
8. वर्मीकल्चर
9. मिनरल जल,
10. रे आम कीटपालन,
11. पुष्पोत्पाद

महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप देने के लिए महिलाओं के शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्तर में सुधार की अनिवार्यता को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो निम्न हैं।

स्वाधार – यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 2 जुलाई 2001 से आरम्भ की गई इसका उद्देश्य गम्भीर परिस्थितियों में स्थित महिलाओं को समग्र व समन्वित सहायता प्रदान करना है।

स्वावलम्बन – महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इसमें मुख्यतः कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्सन, टेलीविजन मरम्मत, हथकरघा व लिपिकीय क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों स्वायत्त संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

स्वशक्ति – यह योजना 1998 में भुरु की गई थी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित तथा वि व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोश के सहयोग से यह योजना बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड में महिला विकास निगमों तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम समूहों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

स्वयंसिद्धा – 12 जुलाई 2001 को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयंसिद्धा योजना स्वयं सहायता समूह आधारित योजना है पूर्व में चल रही इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को मिलाकर शुरू की गई इस योजना को देश के 650 प्रखण्डों में 116 करोड़ रूपए की लागत से भुरु किया गया है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आत्मनिर्भर महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठन किया जाता है ग्रामीण महिलाओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी अधिकार, आर्थिक गतिविधियों, घरेलू बचत इत्यादि के

प्रति जागरूक किया जाता है इसके अन्तर्गत महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार हेतु भी प्रेरित किया जाता है।

महिला सामाख्या कार्यक्रम – सामाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती हैं।

स्वर्णिम योजना – पिछड़े वर्ग की ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 50 हजार तक का ऋण 4% वार्षिक दर पर दिया जाता है योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को ऋण वापसी हेतु 12 वर्ष की लम्बी अवधि प्रदान की गई है।

स्टेप (STEP) – महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने के लिए (Support to training and Employment programme for Women-STEP) योजना की भूराआत 1986–1987 में केन्द्र सरकार द्वारा की गयी थी. योजना का उद्देश्य अल्प आय वाली तथा साधनविहीन महिलाओं को प्रशिक्षण के 8 परम्परागत क्षेत्रों—कृषि, पशु-पालन, मत्स्यपालन, डेयरी, हैण्डलूम,हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग तथा रेशम कीट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है, यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों राज्य निगमों, जिला ग्राम विकास अभिकरणों, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं दिसम्बर 2006 तक इस योजना के अंतर्गत 18000 महिलाओं को लाभ पहुँचाया जा चुका है योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है।

सूक्ष्म वित्त की महिला उद्यमिता में भूमिका

कमजोर वर्ग के लिए साख का मुद्दा वर्षों से चर्चित है। 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ प्रगति तो हुई, पर वह संतोषप्रद नहीं है। तथ्य यहीं बताते हैं कि आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन की गारंटी नहीं है और अब इस वास्तविकता को स्वीकार किया जा सकता है के देश में गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए जो औपचारिक एवं संस्थागत प्रयास अब तक किये गये हैं, वे कहीं न कहीं से अपर्याप्त रहे हैं और यदि भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करना है, तो गरीबी की समस्या से उसे और भी प्रभावी ढंग से निपटना होगा। लघु वित्त प्रणाली इसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। देश में इस प्रणाली का औपचारिक सूत्रपात 90 के दशक के मध्य में हुआ, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कार्य में जुड़ी स्वयं सहायता समूह, ऋण संस्थाओं, स्वरोजगार महिला संघ आदि को

विभिन्न बैंको से संबंधित कर विधिवत सहायता देना प्रारंभ किया। लघु या सूक्ष्म ऋण वितरण की अलग-अलग देशों में अलग-अलग विधि अपनाई जाती है परंतु एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि निर्धन एवं निर्धनतम लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जाए।

स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त

भारत में स्वयं सहायता सूक्ष्म ऋण वितरण के प्रमुख स्तंभ हैं। कुल वितरण में इनका 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। यह एक जैसे हालत वाले निर्धन लोगों का एक छोटा स्वैच्छिक समूह होता है। प्रत्येक समूह में 15-20 सदस्य हो सकते हैं। समूह अपने सदस्यों की बचत को एकत्र करता है और इस प्रकार एकत्र की गई राशि से सदस्यों के उनकी आवश्यकता के आधार पर ऋण देता है। प्रारंभ में समूह के भीतर ही वित्तीय लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाता है और आगे चलकर पूरक वित्तीय सहायता हेतु को किसी बैंक से सम्बद्ध कर दिया जाता है। स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) भी उन समूहों के गठन में मदद करते हैं। सरकार ने महिला सदस्यों वाले समूहों के गठन पर अधिक ध्यान दिया है, जिसका परिणाम है कि देश में प्रति घंटे 400 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ रही हैं। नाबार्ड के अनुसार 3 करोड़ से अधिक महिलाएं, 22 लाख से अधिक व्यवसाय से जुड़ी हैं।



स्वयं सहायता समूह व सूक्ष्म वित्त सहायताओं की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व कुशल प्रबंध के दायरे में लाने के लिए सरकार को माइक्रो फायनेंस सेक्टर (विकास व नियमन) बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च, 2007 को प्रस्तुत किया। सूक्ष्म ऋण के क्षेत्र में शीर्षस्थ बैंक नाबार्ड को बनाया गया है। तथा इस विधेयक के जरिए इसे महत्त्वपूर्ण अधिकार सौंपे गये हैं। इस सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं को नाबार्ड के पास पंजीयन कराना अनिवार्य हो गया है जिसमें पंजीयन के लिए संबंधित संस्था के पास न्यूनतम राशि 5 लाख रूपए होनी चाहिए। इस विधेयक में 'माइक्रो फायनेंस डेवलपमेंट एण्ड इक्विटी फंड' नाम से एक कोश सृजन का भी प्रावधान है। अब 50 हजार उधार राशि (आवास ऋण के मामले में 1.50 लाख रूपए) को सूक्ष्म वित्त की श्रेणी में शामिल किया

गया है। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे आरक्षित कोष के गठन का प्रावधान भी विधेयक में है, जिनमें शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत भाग आरक्षित रखने का प्रावधान होगा। पिछले 17–18 वर्षों लघु वित्त साख क्षेत्र में विविध प्रकार की लघु वित्त संस्थाएं (एमएफआई) महत्त्वपूर्ण संगठन के रूप में उभरी है।

संतुलित आर्थिक विकास, कृषि विकास, तीव्र औद्योगिकीकरण, स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण उत्थान, आर्थिक समानता, नवाचार, मानव संसाधन विकास, नवीन टेक्नालॉजी का प्रयोग एवं उद्यमिता विकास ही हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थान दिला सकते हैं। इसलिए आज हमारे देश में योजनाकारों व सरकारों के समक्ष मुख्य व्यावहारिक समस्या मानव संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग एवं उसका विकास है हमारे देश की लगभग आधी(48.50 प्रति शत) आबादी महिलाओं की है।

अतः महिला उद्यमियों के विकास के द्वारा ही हम अपने उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो उद्यमिता के क्षेत्र में पुरुष वर्ग का वर्चस्व रहा है, लेकिन विगत तीन दशकों में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं का आगमन हुआ है और उदारीकरण, निजिकरण तथा शिक्षा के प्रचार ने इस आगमन का स्वागत किया है और अब महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

पीटर एफ ड्रलर लिखते हैं कि “तीव्र परिवर्तनों एवं नवपरवर्तन के इस युग में साहसिक योग्यता को प्राप्त किए बिना आज के व्यवसायों का जीवित रहना असंभव है।”

तीव्र आर्थिक विकास, नवचार को प्रोत्साहन, संतुलित विकास, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, अवसरों में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि, ये सभी उद्यमिता विकास के द्वारा ही संभव है।

उदाहरण

ऋण प्रदान करने में :- बी.एस.एफ.एल

बी.एस.एफ.एल द्वारा ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया कागजी कार्यवाही और विविध अमानतों के बोझ से पूर्णतः मुक्त है। उद्यमियों की व्यक्तिगत पहचान एवं निवास स्थान के साक्ष्य के अलावा अन्य कोई दस्तावेज संस्थान द्वारा नहीं मांगा जाता है। संस्थान के एल.एस.आर livelihood Service Representatives स्वयं महिला उद्यमियों से व्यक्तिगत सम्पर्क के पश्चात् उन्हें सामान्यतः 4–6 की संख्या में समूहीकृत कर एक सप्ताह के भीतर 5000–50,000 रूपये

तक का ऋण प्रदान कर दिया जाता है। संस्था द्वारा लघु ऋण आसान ब्याज दरों पर प्रमुखतः निम्न व्यवसाय हेतु उपलब्ध कराया जाता है। जैसे—

1. सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई, रंगाई कार्य आदि।
2. खिलौने, चटाई, कारपेट, शोपीस आदि तैयार करना।
3. ब्यूटीपार्लर, हेल्थक्लब, पेंटिंग क्लास, कुकिंग क्लास, बालवाड़ी व झूलाघर संचालित करना आदि।
4. मसाला बनाना, लाख एवं जूट कि सामग्री बनाना, मोमबत्ती, व अगरबत्ती बनाना आदि।
5. किराना, डेयरी, पशुपालन, मुर्गीपालन आदि व्यवसाय चलाना।
6. रेडिमेड वस्त्र, होजयरी, स्टेशनरी आदि।
7. अचार, पापड़, चटनी, ज्यूस, जैम, एवं जैली जैसी खाद्य सामग्री तैयार करना आदि।

विगत पांच वर्षों में संस्था द्वारा महिला उद्यम एवं व्यवसाय पर उपरोक्त ऋण प्रदान किया गया है।

वित्तीय दुनिया में महिलाओं का बढ़ता वर्चस्व एक नजर में :- फारच्यून मैगजीन ने अपने ताजा सर्वेक्षण में आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी **चंदाकोचर** को वर्ष 2013 में भारत की सबसे शक्तिशाली बिजनेस वुमेन बताया है दूसरा नाम एक्सिस बैंक की **श्रीमती शिखा शर्मा** का तथा दसवां नाम एचएसबीसी की श्रीमती **नैनालाल किदवई** का है।

अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है भारत के **केन्द्रीय बैंक में दो महिला उप गवर्नर कार्यरत थीं**। लगभग समकालीन उन दोनों उप गवर्नरों ने अनेक नवाचारी उपायों से केन्द्रीय बैंक की क्षमता बढ़ाने तथा भारतीय बैंकिंग व्यवसाय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया।

भारत के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेहत सुधारने में महिला सीईओ की भूमिका को देखा जा सकता है बीमार इंडियन बैंक को पटरी पर लाने में **पूर्व सीएमडी श्रीमती रंजना कुमार** का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारोबार के क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन महिला कार्यपालकों का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। देश के वरिष्ठ कार्यपालकों के 14% स्थान पर महिलाएं सुशोभित हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक फीचर के अनुसार कारोबारी जगत में महिलाएं मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त तथा बिक्री विभागों में प्रमुखता से छाई हुई

है। अरुधती भट्टाचार्य को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वह एसबीआई में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस में महारत रखने वाली भट्टाचार्य इसके पहले बैंक की प्रबंध निदेशक थीं। मोबाइल बैंकिंग की भुरुआत इन्हीं के नेतृत्व में हुई। श्रीमती उषा अनंतसुब्रह्मण्यन के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पहली बार केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित महिला बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाली हैं। उषा सांगवान ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक का दायित्व संभाला है। निगम के इतिहास में वह पहली महिला है, जो प्रबंध निदेशक के पद पर पहुंची है। बैंक ऑफ इंडिया, इलाहबाद बैंक और यनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया में सीएमडी के पद पर विजयालक्ष्मी आर. अय्यर, अर्चना भार्गव, शुभालक्ष्मी पानसे आसीन है, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।

निष्कर्ष :- उच्च शिक्षित प्रशिक्षित तकनीक दृष्टि से मजबूत और पेशेवर दक्ष महिलाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने तथा संचालित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए युवा महिलाओं में छुपी अविदोहित निपुणता की पहचान करके, उसके अनुरूप महिलाओं को प्रशिक्षित करके औद्योगिक क्षेत्रक में उत्पादकता संवृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के उद्यमों में महिलाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए उद्यमिता मूल्यों को प्रत्येक उत्साही महिला को सिखाने तथा व्यवसाय से जुड़ी जटिलताओं से निपटने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए एक वांछनीय वातावरण की आवश्यकता है।

सन्दर्भ अध्ययन:-

1. राजेन्द्र के एण्ड राय आर. पी. 2010
(इम्पेक्ट ऑफ माइक्रो फाइनेन्स)
2. राधा कृष्णा एम. 2012 परफोर्मेन्स
(माइक्रो फाइनेन्स इन्सीट्यूट ऑफ इंडिया)
3. डा. यू. सी. गुप्ता – उद्यमिता विकास
4. देसाई बसंत– मेनेजमेंट ऑफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
5. डा. एस अखिलेस एण्ड डा. संध्या शुक्ला – महिला सशक्ति करण दशा एवं दिशा
6. डा. अंशूजा तिवारी एवं संजय तिवारी– महिला उद्यमिता
7. विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकायं– दैनिक भास्कर, नई दुनिया, तथ्य भारती, प्रतियोगिता दर्पण कुरुक्षेत्र, योजना आदि ।